हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

दिनांक 09 सितम्बर, 2020

संख्या वि0स0–विधायन–विधेयक/1–14/2020.––हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक 13) जो आज दिनांक 09 सितम्बर, 2020 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण को सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

हस्ताक्षरित/–
सचिव,
हि0 प्र0 विधान सभा।

––––––––––

2020 का विधेयक संख्यांक 13

हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2020

खण्डों का क्रम

खण्ड :

1. संक्षिप्त नाम।
2. धारा 3 का संशोधन।
3. धारा 4 का संशोधन।
4. धारा 5 का संशोधन।
5. धारा 7 का संशोधन।
6. धारा 16 का संशोधन।
7. धारा 27 का संशोधन।

––––––––––

2020 का विधेयक संख्यांक 13

हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2020

(विधानसभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 13) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक**।

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

1. **संक्षिप्त नाम.**––इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2020 है।

2. **धारा 3 का संशोधन.**––हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 (जिसे इसमें इसके पश्चात् '' मूल अधिनियम'' कहा गया है) की धारा 3 में,–

(क) उप–धारा (1) के खण्ड (iii) में, ''पचास हजार'' शब्दों के स्थान पर ''चालीस हजार'' शब्द रखे जाएंगे; और

(ख) उप–धारा (2) के द्वितीय परन्तुक में, ''तीस'' शब्द के स्थान पर ''चौदह'' शब्द रखा जाएगा।

3. **धारा 4 का संशोधन.**––मूल अधिनियम की धारा 4 में,–

(क) उप–धारा (5) में, ''छह'' शब्द के स्थान पर ''दो'' शब्द रखा जाएगा; और

(ख) उप–धारा (6) में, ''छह'' शब्द के स्थान पर ''दो'' शब्द रखा जाएगा।

4. **धारा 5 का संशोधन.**––मूल अधिनियम की धारा 5 में,–

(क) उप–धारा (2) में, ''छह'' शब्द के स्थान पर ''दो'' शब्द रखा जाएगा; और

(ख) उप–धारा (3) में, ''छह'' शब्द के स्थान पर ''दो'' शब्द रखा जाएगा।

5. **धारा 7 का संशोधन.**––मूल अधिनियम की धारा 7 में,–

(क) उप–धारा (1) में, ''छह'' शब्द के स्थान पर ''दो'' शब्द रखा जाएगा ; और

(ख) उप–धारा (2) में, ''छह'' शब्द के स्थान पर ''दो'' शब्द रखा जाएगा।

6. **धारा 16 का संशोधन.**––मूल अधिनियम की धारा 16 की उप–धारा (1) के खण्ड (च) में, ''लोक सेवा'' शब्दों के पश्चात् ''से हटाया गया है या लोक सेवा'' शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे।

7. **धारा 27 का संशोधन.**––मूल अधिनियम की धारा 27 की उप–धारा (2) में, ''पदाधिकारी'' शब्द के स्थान पर ''सदस्य'' शब्द रखा जाएगा।

———————

उद्देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 13) के उपबंधों के अनुसार पचास हजार से अधिक की जनसंख्या वाले शहरी क्षेत्रों को, अन्य कानूनी अपेक्षाओं को परिपूर्ण करने के अध्यधीन, नगर निगम के रूप में घोषित किया जा सकता है। पिछली जनगणना नौ वर्ष पूर्व की गई थी तबसे कुछ शहरी क्षेत्रों की जनसंख्या पचास हजार की जनसंख्या वाली वैधानिक सीमा से अधिक हो गई है फिर भी उन्हें अद्यतन डाटा की अनुपलब्धता के कारण नगर निगम के रूप में घोषित नहीं किया जा सकता है। अगली जनगणना वर्ष 2021 में होगी और आवश्यक डाटा को अंतिम रूप देने हेतु पर्याप्त समय लग सकता है। इसलिए, कुछ शहरी क्षेत्र नगर निगम की प्रसुविधाओं को प्राप्त करने से वंचित रह जाएंगे तथापि ऐसे क्षेत्रों ने पचास हजार की निश्चित जनसंख्या की सीमा को पार कर लिया है। अतः पूर्वोक्त अधिनियम में संशोधन करने का विनिश्चय किया गया है ताकि चालीस हजार की जनसंख्या वाले शहरी क्षेत्रों को भी नगर निगम के रूप में घोषित किया जा सके।

इसके अतिरिक्त, अधिनियम के अधीन विभिन्न आक्षेपों को आमन्त्रित करने की अवधि को छह सप्ताह की अवधि से घटाकर दो सप्ताह किया जाना प्रस्तावित है। पूर्वोक्त अधिनियम वर्ष 1994 में अधिनियमित किया गया था और गत 26 वर्षों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों में बहुत सुधार हुए हैं। इसलिए उक्त अवधि को कम किया जाना आवश्यक और समीचीन है।

यह विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(सुरेश भारद्वाज)
प्रभारी मंत्री।

शिमला :

तारीख....., 2020

———————

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

BILL NO. 13 OF 2020

THE HIMACHAL PRADESH MUNICIPAL (AMENDMENT) BILL, 2020

ARRANGEMENT OF CLAUSES

Clauses:

1. Short title.
2. Amendment of Section 3.
3. Amendment of Section 4.
4. Amendment of Section 5.
5. Amendment of Section 7.
6. Amendment of Section 16.
7. Amendment of Section 27.

———————

Bill No. 13 of 2020

THE HIMACHAL PRADESH MUNICIPAL (AMENDMENT) BILL, 2020

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 (Act No.13 of 1994).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy-first Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Municipal (Amendment) Act, 2020.

2. Amendment of Section 3.—In Section 3 of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 (13 of 1994) (hereinafter referred to as the "principal Act"),-

(a) in sub-section (1), in clause (iii) for the words "fifty thousand", the words "forty thousand" shall be substituted; and

(b) in sub-section (2), in second proviso for the word " thirty", the word "fourteen" shall be substituted.

3. Amendment of Section 4.—In Section 4 of the principal Act,–

(a) in sub-section (5), for the word "six", the word "two" shall be substituted ; and

(b) in sub-section (6), for the word "six", the word "two" shall be substituted.

4. Amendment of Section 5.—In Section 5 of the principal Act,–

(a) in sub-section (2), for the word "six", the word "two" shall be substituted; and

(b) in sub-section (3), for the word "six", the word "two" shall be substituted.

5. Amendment of Section 7.—In Section 7 of the principal Act,–

(a) in sub-section (1), for the word "six", the word "two" shall be substituted; and

(b) in sub-section (2), for the word "six", the word "two" shall be substituted.

6. Amendment of Section 16.—In Section 16 of the principal Act, in sub-section (1), in clause (f), after the words " if he has been" , the words " removed from public services or" shall be inserted.

7. Amendment of Section 27.—In Section 27 of the principal Act, in sub-section (2), for the words "office bearer", the word "member" shall be substituted.

———

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

As per the provisions of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 (Act No. 13 of 1994), the urban areas with population exceeding fifty thounsand may be declared as the Municipal Corporation subject to fulfilling other statutory requirements. The last census was undertaken nine years ago and since then the population of some of the urban areas may have crossed the statutory limit of fifty thousand yet they can not be declared as Municipal Corporation due to non-availablility of updated data. The next census will take place in the year 2021 and it may, therefore, take considerable time for finalising the necessary data. Thus, some urban areas will be deprived of the benefits of having Municipal Corporation despite such areas having crossed the benchmark of

having population of fifty thousand. Therefore, it has been decided to amend the Act *ibid.* so that the urban areas having population of forty thousand may also be declared as Municipal Corporation.

Further, the period for submitting varions objections under the Act are being reduced from six weeks to two weeks. The Act *ibid.* was enacted in the year, 1994 and in the last twenty six years, the infomation and communication techniques have improved a lot. Thus, it is necessary and expedient to reduce the said period.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(SURESH BHARDWAJ)
Minister-in-charge.

SHIMLA :
The....., 2020.